



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0661-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-ppcfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0स्था0व्य0/वनकुप-09(2017-18)

4072

दिनांक: 8-9-17

प्रेषक: संजय कुमार, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण "03- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में राशि की आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखंड सरकार का पत्रांक-29/बी0टी0ई0-12/2016-17 /113/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, झारखंड सरकार के प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "03- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल ₹0 41.252 लाख ₹0 की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/बी0टी0ई0-12/2016-17 /113/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन आपके कार्यालय पत्रांक 2218, दिनांक 04.08.2017 के आलोक में दी जा रही है।
5. 60-विधि प्रभार इकाई में आवंटित राशि आपके कार्यालय पत्रांक 815, दिनांक 20.03.2017 के आलोक में है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BPAEFC/03-17-18/05EFC की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु0- यथो0।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

ज्ञापंक:

4072

दिनांक:

8-9-17

प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

वार्षिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - BPAEFC/03-17-18/05EFC

दिनांक - 08-Sep-2

क्रमांक	विषय कोड	एकरीस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101030101 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कूपों की स्थापना 01 - वेतन एवं भत्ते 01 - वेतन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	62184	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	4,100,000.00 रुपये इकतालीस लाख
2	S 19 240601101030213 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कूपों की स्थापना 02 - याचा भत्ते 13 - देशीय याचा भत्ता Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	62185	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	10,000.00 रुपये दस हजार
3	S 19 240601101030333 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कूपों की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यय 33 - दूरभाष Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	62186	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	5,000.00 रुपये पाँच हजार

योग:


4,115,000.00

क्रमिक योग:

रुपये इकतालीस लाख पंद्रह हजार

(SANJAY KUMAR)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	अवशेष राशि
4	S 19 240601101030760 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संशोधन 03 - वन कृषि की स्थापना 07 - अन्य व्यय 60 - विभिन्न प्रकार Establishment Expenditure	62187	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	10,200.00 रुपये दस हजार दो सौ
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>State Scheme : NA</p> <p>Central Scheme : NA</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>				



योग:

10,200.00

क्रमिक योग:

रुपये इकतालीस लाख पच्चीस हजार दो सौ

4,125,200.00

(SANJAY KUMAR)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI